UPJL010010012026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 109/2026

श्रीमती लता प्रति राज्य उत्तर प्रदेश

मुकदमा अपराध संख्या 752/2025

धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023

थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

16.03.2026

1. प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती लता पत्नी स्व0 वीरेन्द्र कुमार गौतम उर्फ मुन्ना निवासी कुकरगांव, थाना उरई, हाल पता वेतवा नहर कालोनी कस्बा व थाना उरई, जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 752/2025 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 31.12.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती लता द्वारा थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन में इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसके पति स्व0 वीरेन्द्र कुमार गौतम दिनांक 25.12.2025 को लगभग दोपहर के 3 बजे किसी के साथ (अज्ञात व्यक्ति) आवास से निकल गये थे। वह भी पति के निकलने के कुछ देर बाद अपनी सासु जी के लिये खाना लेकर कुकरगांव निकल गयी थी। वह जब खाना देकर वापस उरई आवास पर समय लगभग 4:30 बजे आ गई थी। इसके बाद लगभग समय पौने सात बजे वह जब घर से निकली तब उस समय उसके पति घर के बाहर लहुलुहान अवस्था में पड़े थे। उसने जब अपने पति को लहुलुहान स्थिति में देखा तो उसने सोचा कि शायद शराब पीकर कही गिरकर आये है, जिसकी वजह से चोटे आयी है। कई बार उसके पति को इसी हालत में लोग छोड़कर भी गये थे तो उसने सोचा कि शायद इस बार भी इनको छोड़कर चले गये है, क्योंकि ऐसी चोटें पहले भी कई बार आयी है तो उसने इनको पानी से धुलाकर कपड़े से पौंछा, ताकि इनको कोई गहरी चोट तो नहीं आयी है। जब उसके पति काफी देर तक होश में नहीं आये तो वह बहुत डर गयी थी। वह समझ नहीं पायी कि उसे क्या करना चाहिए। जब उसकी छोटी बेटी कोचिंग से वापस आयी तभी हम और छोटी बेटी उनको ई–रिक्शा से मेडीकल कालेज ले गये, जहां डाक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 31.12.2025 को ही अज्ञात में मुकदमा अपराध

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.05.01 08:37:24 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संख्या 752/2025 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में इस आशय का अभिकथन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूंठा फंसाया गया है। उसने स्वयं अपने पति की हत्या होने के सम्बन्ध में उपरोक्त एफ0आई0आर0 दर्ज कराई थी। उसने अपने पति की हत्या नहीं की है और न ही चोटें पहुंचाई है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता की शादी हुए करीब 35 वर्ष हो गये है और उसके चार बच्चे है, कभी उसके व पति के बीच कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं रहा है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के पास अपने पति को मारने का कोई मोटिव नहीं है। प्रार्थिया/अभियुक्ता के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थिया/अभियुक्ता घटना के समय उरई में नहीं थी। प्रार्थिया/अभियुक्ता अक्सर बीमार रहती है और उसे ब्लडप्रेशर व अर्थराइटस की समस्या है। इन आधारों पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गई है।

5. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) जालौन द्वारा जमानत का विरोध करते हुए प्रार्थिया/अभियुक्ता के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. पत्रावली पर उपलबध प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, थाने की आख्या एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर आरोप है कि उसके द्वारा अपने पति की गम्भीर उपहति कारित कर साशय हत्या कारित की। पत्रावली पर मृतक वीरेन्द्र कुमार गौतम का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके माथे, दांये व बांये पैराइटल क्षेत्र में, दाहिने तरफ चेहरे पर, दाहिने कान पर, टोड़ी पर, घुटनों के जोड़ पर, गर्दन एवं नाक पर कटे–फटे घावों की चोटें पाये जाने का उल्लेख किया गया है तथा मृतक की मृत्यु का कारण श्वांसावरोध/कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट से होना बताया गया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता ने ही थाने में अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थिया/अभियुक्ता ने 03:00 बजे के बाद अपनी सास को खाना लेकर कुकुरगॉव जाना और पुनः लगभग 04:30 बजे वापस आना बताया गया है। जबकि केस डायरी के पर्चा नं0–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि जांच के दौरान विवेचक द्वारा सी0सी0टी0वी0 फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें यह उल्लेख है कि दिनांक 25.12.2025 को मृतक वीरेन्द्र उर्फ मुन्ना ई–रिक्शा से दोपहर में गया तथा लगभग 05:30 बजे शाम को सकुशल आकर घर में घुसा। मृतक वीरेन्द्र की पत्नी लता उससे पहले ही बाहर गयी, तब मकान बन्द था, कोई न आया न गया। इसके बाद लगभग 04:30 बजे शाम लता अकेले आकर मकान के अन्दर आयी, उसके बाद मृतक सकुशल आकर मकान के अन्दर गया। उसके उपरान्त लगभग 19:36 पर मृतक की छोटी लड़की निमिशा कोचिंग पढ़कर घर आती। निमिशा व मृतक के बीच में न कोई घर के अन्दर आता है और न ही कोई घर के बाहर जाता है। संकलित साक्ष्य से स्पष्ट हो रहा है कि मृतक वीरेन्द्र कुमार गौतम उर्फ मुन्ना की हत्या घर में ही की गयी है। घटना के पूर्व मृतक सकुशल

अपने घर में गया और घर में जाने के उपरान्त उसकी हत्या हुई। घर में मृतक वीरेन्द्र कुमार गौतम व उसकी पत्नी श्रीमती लता ही मौजूद रही। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा कथित अपराध में प्रार्थिनी/अभियुक्ता की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। उक्त प्रकरण में घटना स्थल से फील्ड यूनिट द्वारा मृतक के रक्त रंजित कपड़े व हत्या में प्रयुक्त लकड़ी की मुंगरी बरामद कर परीक्षण हेतु भेजा जाना बताया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों, प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर लगाये गये आरोप की गम्भीरता, दण्ड की कठोरता एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थिनी/अभियुक्ता की जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती लता पत्नी स्व0 वीरेन्द्र कुमार गौतम उर्फ मुन्ना निवासी कुकरगांव, थाना उरई, हाल पता वेतवा नहर कालोनी कस्बा व थाना उरई, जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 752/2025 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 109/2026, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–16.03.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी.–2414